

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राथिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

No. 377]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2015

का.आ. 528(अ).—संस्था निकायों (आईबी) के गठन से संबंधित सभी पूर्व समसंख्यक अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्दवारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की संस्था निकायों (आईबी) का पुनर्गठन करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

धारा 4 के खंड (क) के तहत आई सदस्य:

1. डॉ. जीबी गुप्ता, कुलपति, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) और स्वास्थ्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ - पदेन

॥. धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य:

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन

III. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य:

3. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर - पदेन

IV. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य:

- 4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
- 5. प्रो. बी. एस. सहाय, निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

V. धारा 4 के खंड (इ) के तहत सदस्य:

- 6. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार।
- 7. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 8. प्रो. भास्कर रामामूर्ति, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई।
- 9. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार।
- 10.सुश्री के. सुजाता राव, पूर्वसचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

VI. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य:

- 11. डॉ. ए. के चन्द्राकर, डीन, पं. जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर
- 12. डॉ. टी एस रिव कुमार, निदेशक, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुड्चेरी।
- 13. प्रो. विनोद पॉल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
- 14. प्रो. वी रिव, प्रोफेसर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक (निमहांस), बंगलौर, कर्नाटक।

VII. [धारा 4 के खंड (छ) के तहत] संसद सदस्य:

- 15. श्री रमेश बैस, संसद सदस्य, लोक सभा
- 16. श्री अभिषेक सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा
- 17. डॉ. भूषण लाल जांगड़े, संसद सदस्य, राज्य सभा

इन सदस्यों के कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहि उपबंधों के अनुसार निर्धारित होंगे।

[फा. सं. जेड-28016/42/2013-एसएसएच कैलाश चंद समरिया, संयुक्त सचि

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2015

S.O. 528(E).—In supersession of all earlier notifications of even number relating to constitution of Institute Bodies (IBs) and in exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences A 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), 1 Central Government hereby re-constitutes the IBs of All India Institute of Medical Sciences, Raipur consisting of following members, namely:—

I. Member under clause (a) of Section 4:

- 1. Dr.G. B. Gupta, Vice Chancellor, Ayurveda, Yoga and
 Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH)
 and Health Sciences, University of Chhattisgarh, Raipur, Chhattisgarh
 -ex-officio
- II. Member under clause (b) of Section 4:
 - Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

-ex-officio

III. Member under clause (c) of Section 4:

3. Director, All India Institute of Medical Sciences, Raipur

-ex-officio

IV. Members under clause (d) of Section 4:

- 4. Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India -Representative of Ministry of Finance
- 5. Prof. B.S. Sahay, Director, Indian Institute of Management, Raipur, Chhattisgarh -Representative of Ministry of Human Resource Development

V. Members under clause (e) of Section 4:

- 6. Union Health and Family Welfare Minister, Government of India
- 7. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
- 8. Prof. BhaskarRamamurthi, Director, Indian Institute of Technology, Chennai.
- 9. Chief Secretary, Government of Chhattisgarh.
- 10. Ms. K. Sujatha Rao, former Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

VI. Members under clause (f) of Section 4:

- 11. Dr. A. K. Chandrakar, Dean, Pt. Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Raipur
- 12. Dr. T.S. Ravikumar, Director, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry.
- 13. Prof. Vinod Paul, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
- 14. Prof. V. Ravi, Professor, National Institutes of Mental Health and Neuroscience, Bangalore, Karnataka (NIMHANS), Bangalore, Karnataka.

VII. Members of Parliament [under clause (g) of Section 4]

- 15. Shri Ramesh Bais, Member of Parliament, Lok Sabha
- 16. Shri Abhishek Singh, Member of Parliament, Lok Sabha
- 17. Dr. Bhushan Lal Jangde, Member of Parliament, Rajya Sabha

The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of The All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/42/2013-SSH]

KAILASH CHAND SAMRIA, Jt. Secy.